

an>

Title: Need to provide water of Ravi and Beas rivers to Rajasthan as per agreement.

**श्री गड्डल करवां (घुऊ)** ः पंजाब व हरियाणा राज्य पूरः राजस्थान को उसके हिरसे का पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, विशेषकर बुवाई एवं पकाई के समय राजस्थान को कम मात्रा में पानी दिया जाता है जिससे किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने दिनांक 12.12.1974 को वाटर अकाउंट रिकॉन्सॉल्टेशन कमेटी का गठन किया। इसके पैश-3 में यह उल्लेख है कि यदि किसी राज्य को पानी कम उपलब्ध कराया जाता है तो वह राज्य आगामी 15 दिवस में कम पानी उपलब्ध कराये जाने की भरपाई करें परंतु इसकी पालना बी.बी.एम.बी. द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाती है। बी.बी.एम.बी. इस विषय में समुचित तंत्र विकसित करें तथा पंजाब एवं हरियाणा द्वारा कम पानी उपलब्ध कराये जाने की भरपाई अगले 15 दिवस में इन राज्यों के हिरसों में से पानी काटकर सुनिश्चित करें। जब-जब राजस्थान को कम पानी प्राप्त होता है तब-तब राजस्थान द्वारा यह मुद्दा बी.बी.एम.बी. पंजाब व हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, 1981 में हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य रावी, व्यास नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान का हिरसा 8.60 एम.ए.एफ. तय किया गया था, लेकिन 0.60 एम.ए.एफ. जल आज भी पंजाब, राजस्थान को नहीं दे रहा है। जिसके लिए राजस्थान सरकार वर्षों से प्रयास कर रही है। उक्त राज्यों के मध्य राजस्थान के सिधमुख-नोहर क्षेत्र के लिए 0.47 एम.ए.एफ. जल आवंटन का समझौता हुआ था, लेकिन आज भी पंजाब, हरियाणा द्वारा 0.17 एम.ए.एफ. पानी सिधमुख और नोहर क्षेत्र के लिए नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्तानुसार राजस्थान के हिरसे का जल दिलवाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करें।